पत्रांक - 29/बी0टी0ई0-15/2013 14/........../बजट

झारखण्ड सरकार

वित्त विभाग

प्रेषक,

अमरेन्द्र प्रताप सिंह, सरकार के सचिव ।

सेवा में.

सभी अपर मुख्य सचिव, सभी प्रधान सचिव / सचिव, सभी विभागाध्यक्ष, झारखण्ड, राँची ।

विषय : वित्तीय वर्ष 2014-15 के झारखण्ड विनियोग विधेयक, 2014 सम्बद्ध अधिनियम-04/2014, दिनांक-19.03.2014 द्वारा प्रावधानित राशि के व्यय की अनुमित के सम्बन्ध में ।

महोदय,

वित्तीय वर्ष 2014-15 के बजट से सम्बन्धित **झारखण्ड विनियोग विधेयक,** 2014 पर माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक-14.03.2014 को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है । इस का प्रकाशन **झारखण्ड अधिनियम संख्या-04/2014 दिनांक-19.03.2014** के रूप में **झारखण्ड राज्य के असाधारण अंक** में हो चुका है ।

अत: उपरोक्त विनियोग अधिनियम के तहत् किये गये बजट प्रावधान का व्यय दिनांक-01.04.2014 से 31.03.2015 तक की अविध में नियमानुसार राज्य की संचित निधि से किया जा सकता है।

नोट :-

- (i) वित्तीय वर्ष 2014-15 से सेवानिवृत्त कर्मियों को वित्त विभाग के पत्रांक 2668, दिनांक 04.08.2009 की कण्डिका 4(क) के तहत् एक मुश्त स्थानान्तरण अनुदान और पैकिंग भत्ता बजट गैर योजना मुख्यशीर्ष 2071 पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ उपमुख्यशीर्ष 01 सिविल लघुशीर्ष 101 अधिवर्षिता तथा सेवानिवृत्ति भत्ते उपशीर्ष 10 सेवानिवृत्त कर्मियों के लिये स्थानान्तरण अनुदान एवं स्थानान्तरण यात्रा भत्ता विस्तृतशीर्ष 02 यात्रा व्यय प्राथमिक इकाई 84 स्थानान्तरण यात्रा व्यय से सेवानिवृत्त कर्मियों के अन्य अनुलाभों की तरह विकलनीय होगा ।
- (ii) 15.11.2000 के बाद का बकाया वेतन की निकासी प्राथमिक इकाई 01-वेतन से न करके प्राथमिक इकाई 83-15.11.2000 के बाद का बकाया वेतन से की जायेगी ।
- (iii) चिकित्सा प्रतिपूर्त्ति की निकासी प्राथमिक इकाई 01-वेतन से न करके प्राथमिक इकाई 85-चिकित्सा प्रतिपूर्त्ति से की जायेगी ।
- (iv) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारो (DDOs) का निर्धारण विभागीय संकल्प संख्या-3245, दिनांक-26.11.2013 के क्रम में मात्र सिक्रिय DDOs को संसूचित कर दिया जाय ।

- (v) ऑन लाईन आवंटन (Online Allotment) 01.04.2014 से प्रभावी रहेगा । इसी प्रक्रिया से आवंटन दिया जाय ।
- (vi) E-payment Gateway का Generic or Specific Portal Government Receipt के लिए इस्तेमाल को प्रोत्साहित किया जाय ।
- (vii) सभी DDOs को निर्देश दिया जाय कि सरकारी आवास में रहने वाले पदाधिकारियों/कर्मचारियों से एक प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाय कि वह HRA नहीं ले रहे हैं एवं License Fee की कटौती हो रही है।
- (viii) ऑन लाईन प्रत्यर्पण (Online Surrender) भी किया जायेगा ।

यह अधिनियम झारनेट की वेबसाईट-http://172.16.20.15/ budgetjhr पर भी उपलब्ध है ।

विश्वासभाजन,

अनुलग्नक : झारखण्ड बजट 2014-15 का एक सेट ।

4/ ८/०५/१) (अमरेन्द्र प्रताप सिंह) सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक – 29/बी0टी0ई0–15/2013–14/.. $\sqrt{.7}$ ्र/बजट, सँची, दिनांक $-{}^{\circ}$ ्र//्रं /

प्रतिलिपि : महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव / महामहिम राज्यपाल के माननीय परामर्शी (वित्त विभाग) / सचिव, झारखण्ड विधानसभा / महानिबंधक, झारखण्ड उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

अनुलग्नक : झारखण्ड बजट 2014-15 का एक सेट । (अमरेन्द्र प्रताप सिंह) सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक – 29/बी०टी०ई०-15/2013-14/. $\frac{1}{1}$ ्रि./बजट, गँची, दिनांक – ि. $\frac{1}{1}$ ि. $\frac{1}{1}$ ि. $\frac{1}{1}$ ि. बजट, गँची, दिनांक – ि. $\frac{1}{1}$ ि. $\frac{1}{1}$ ि. $\frac{1}{1}$ ि. पंजा प्रवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

अनुलग्नक : झारखण्ड बजट 2014-15 का पाँच सेट । (अमरेन्द्र प्रताप सिंह) सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक - 29/बी0टी0ई0-15/2013-14/...ं वजट, राँची, दिनांक - ं ं ं ं अवश्यक प्रितिलिप : महालेखाकार (लेखा परीक्षा), झारखण्ड, राँची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेत् प्रेषित ।

अनुलग्नक : झारखण्ड बजट 2014-15 का पाँच सेट । (अमरेन्द्र प्रताप सिंह) सरकार के सचित्र । ज्ञापांक - 29/बी०टी०ई०-15/2013-14/. $\frac{120}{20}$ /बजट, राँची, दिनांक - $\frac{01/04/2019}{120}$

प्रतिलिपि: सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी उपायुक्त / सभी जिलों के उप-विकास आयुक्त / सभी कोषागार / उपकोषागार पदाधिकारी पदाधिकारी, झारखण्ड, राँची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

 अनुलग्नक : झारखण्ड बजट 2014–15 का एक सेट ।
 (अमरेन्द्र प्रताप सिंह)

 सरकार के सचिव ।

/ योजना शाखा, वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु

प्रेषित ।

अनुलग्नक : झारखण्ड बजट 2014-15 का एक सेट ।

सरकार के सचिव ।